लखनादौन में फिर अवैध कॉलोनियों का कारोबार !

सिवनी नवभारत। सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों का कारोबार तेजी से फैलता नजर आ रहा है। क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक अनुमति के भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचने का सिलसिला जारी है। आरोप है कि कुछ कॉलोनाइजर भोली-भाली जनता को सस्ते प्लॉट और भविष्य में विकसित कॉलोनी का सपना दिखाकर जमीन बेच रहे हैं, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि इन कॉलोनियों के पास शासन की आवश्यक स्वीकृतियां नहीं हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन की भूमिका और उसकी निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार लखनादौन में वन विद्यालय और मिडवे रेस्टोरेंट के बीच स्थित क्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर जमीन की प्लॉटिंग किए जाने की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की आड़ में जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचा जा रहा है। हालांकि इस कॉलोनी के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की स्वीकृति या अनुमति की जानकारी सामने नहीं आई है।

राजनीतिक संरक्षण के आरोप प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

भोली-भाली जनता बन रही शिकार, प्लाट खरीदने से पहले हो जाए सावधान

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनाइजर गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सस्ते प्लॉट और भविष्य में शहर के विस्तार का हवाला देकर जमीन खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यहां सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और प्लॉट की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी।

लेकिन जानकारों का कहना है कि यदि कोई कॉलोनी बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जाती है तो वहां खरीदे गए प्लॉट पर भविष्य में मकान बनाने, बिजली कनेक्शन लेने या अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में कई तरह की कानूनी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

ऐसे मामलों में अक्सर खरीदार ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं।प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवाल तो अब हो जाए सावधान प्लाट खरीदने से पहले संपूर्ण जानकारी इसके बाद ही

प्लाट खरीदे। इस पूरे मामले में वही एसडीएम कार्यालय लखनादौन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि खुलेआम जमीन की प्लॉटिंग और बिक्री का काम चल रहा है, इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो भविष्य में बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों के कारण क्षेत्र का विकास भी अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे सड़क, नाली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्या उत्पन्न होती है।

लोगों ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

लखनादौन क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि वन विद्यालय और मिडवे रेस्टोरेंट के बीच विकसित की जा रही कथित कॉलोनी की जांच कराई जाए और यदि बिना अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही लोगों का कहना है कि प्रशासन को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भी जागरूक करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति झूठे वादों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई न गंवाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और लखनादौन में तेजी से फैल रहे अवैध कॉलोनियों के इस कारोबार पर कब तक प्रभावी अंकुश लगाया जाता है।

कॉलोनी विकसित करने के लिए क्या हैं नियम

मध्यप्रदेश में किसी भी भूमि को कॉलोनी के रूप में विकसित करने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वह कॉलोनी अवैध मानी जाती है।

यह है कॉलोनी के नियम

किसी भी जमीन को कॉलोनी के रूप में विकसित करने से पहले नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) या संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कॉलोनी का विस्तृत नक्शा तैयार कर उसे संबंधित विभाग से स्वीकृत कराना जरूरी होता है। इसमें सड़क, पार्क, नाली और सार्वजनिक स्थानों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि जमीन कृषि भूमि है तो उसे आवासीय उपयोग के लिए राजस्व विभाग से डायवर्ट कराना आवश्यक होता है। बिना डायवर्सन के प्लॉटिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। कॉलोनी में नियमानुसार चौड़ी सड़कें, पार्क, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन आरक्षित करना अनिवार्य होता है। कॉलोनी विकसित करने से पहले बिजली, पानी, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक होता है। नगर पंचायत या ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने से पहले संबंधित निकाय की अनुमति लेना जरूरी होता है। प्लॉट बेचते समय कॉलोनाइजर के पास सभी वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक है और खरीदार को भी जमीन के दस्तावेजों की पूरी जांच करनी चाहिए ।

गहराता जल संकट : बेखौफ चल रही बोरिंग मशीन

सिवनी नवभारत। मार्च का महीना आधा बीतते ही जिले में भीषण जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। एक ओर जहाँ ग्रामीण अंचलों में जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय सहित शहरी क्षेत्रों में बोरिंग का कारोबार बेखौफ जारी है। विडंबना यह है कि प्रशासन ने अब तक बोरिंग मशीनों के संचालन पर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिससे भूजल के अंधाधुंध दोहन ने खतरे की घंटी बजा दी है।

जिले में इस बार समय से पहले गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में शहर के कई इलाकों में निजी बोरवेल दम तोड़ने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि यदि इसी गति से भूजल निकाला गया, तो मई-जून आने तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। शहर के विभिन्न वार्डों में रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि अब तो दिनदहाड़े भी बोरिंग मशीनें गरजती देखी जा सकती हैं। बिना किसी विभागीय एनओसी के धड़ल्ले से नए बोरवेल खोदे जा रहे हैं। हर साल इस समय तक जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल संरक्षण अधिनियम के तहत निजी बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष अब तक ऐसी

किसी सख्ती की कमी महसूस की जा रही है। पानी की कमी के डर से लोग ऊंचे दामों पर बोरिंग करा रहे हैं, जिससे भूजल का दोहन व्यापार बन चुका है। कम वर्षा का प्रभाव- पिछले मानसून में औसत से कम वर्षा के कारण जल स्रोत पूरी तरह रिचार्ज नहीं हो पाए। टैंकर माफिया का सक्रिय होना- पाइपलाइन की अनियमित सप्लाई का फायदा उठाकर टैंकर माफिया सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन को तुरंत जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नई बोरिंग पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। यदि अभी कदम नहीं उठाए गए, तो आम जनता को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा। स्थानीय जागरूक नागरिक का कहना है कि सिवनी की जनता अब जिला प्रशासन की ओर देख रही है। मांग की जा रही है कि धारा 144 के तहत निजी बोरिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। अवैध रूप से चल रही बोरिंग मशीनों को जब्त किया जाए। नगर पालिका द्वारा जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

एक नजर में

होटल, ढाबा व चाय स्टॉल से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

सिवनी। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग, कालाबाजारी एवं जमाखोरी की रोकथाम के लिए जिले में सतत निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक टीम द्वारा निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। बरघाट क्षेत्र में एसडीएम के निर्देशानुसार होटल एवं ढाबों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गुरु कृपा होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया, जिस पर तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक तथा पुलिस के सहयोग से सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं ग्राम मैरा में दिलीप साहू की चाय स्टॉल से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी प्रकार तहसील केवलारी के ग्राम पलारी स्थित पप्पू होटल का निरीक्षण करने पर वहां भी घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला प्रशासन द्वारा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग न करने की समझाइश दी गई है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।

परीक्षा में सम्मिलित हुए 15344 नवसाक्षर

सिवनी। भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह जिला परियोजना संचालक के कुशल निर्देशन में दिनाक 14 मार्च 2026 को नवसाक्षरों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्याकंन परीक्षा जिले के आठ विकासखण्डों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित केन्द्रों पर सफलता पूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा हेतु जिले में 1347 परीक्षा केन्द्र बनाए गये थे। विकासखण ?डो से प्राप्त जानकारी अनुसार परीक्षा में 15344 नवसाक्षर महिला एवं पुरुष सम्मिलित हुए। परीक्षा के सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिला, विकासखण्ड, संकुल एवं जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर मॉनिटरिंग दलों द्वारा परीक्षा केन्द्रों की सघन मॉनीटरिंग की गई। परीक्षा में महिलाओं द्वारा बढ-चढकर हिस्सा लिया गया। परीक्षा हेतु नवसाक्षरों को गॉव-गॉव में संपर्क करते हुए परीक्षा देने हेतु आमंत्रित किया गया। नवभारत साक्षरता परीक्षा के सफल संचालन हेतु समस्त वोलंटियर (अक्षरसाथी) संकुल सह समन्वयक, विकासखंड सह समन्वयक, शिक्षक, प्राचार्य, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, जनशिक्षक, बीएसी एवं बीआरसीसी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया

सिवनी नवभारत। हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने के बाद हुई। विश्व में पहली बार 15 मार्च 1983 को यह दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गलत जानकारी, असुरक्षित उत्पादों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से प्रतिस्थापित किया गया। इस कानून के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था दी गई है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस सिवनी द्वारा वर्ष 2003 से हर साल 2 अक्टूबर से 24 दिसंबर

तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संगठन को उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य एवं संभाग स्तर पर कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

डी बी नायर अध्यक्ष के कार्य क्षमता को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर महाप्रबंधक ने वर्ष 2010एवं 2011 केलिए रेल उप भोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किया है। भारत सरकार रेलमंत्रालय ने डी बी नायर को दो बार 2012 और 2015 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में जेडी आर यू सी सलाहकार नियुक्त कर सम्मानित किया।

शिव पुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह का अंतिम दिवस, कल हवन-पूजन एवं विशाल भंडारा

कथा के समापन दिवस पर भगवान शिव की महिमा, भक्ति और मानव कल्याण का संदेश

सिवनी नवभारत। नगर के मरझोर स्थित शिवनगर के शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव पुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह के अंतिम दिवस की कथा में भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति का महत्व विस्तार से बताया गया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं, वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनके कष्टों को दूर कर देते हैं।

अंतिम दिवस की कथा में बताया गया कि भगवान शिव सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि कल्याणकारी भी हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण हमें सत्य, करुणा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा

देता है। कथा व्यास ने कहा कि जीवन में अहंकार का त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। शिव भक्ति से मनुष्य को आत्मिक शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा सुनने और उसका चिंतन करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कथा के दौरान बड़ी संख्या पत्रकारो सहित अन्य गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे जिसमें किसान मोर्चा के जिला महामंत्री शिव सनोदिया, वेद प्रकाश सूर्यवंशी, रमेश सनोदिया जिला अध्यक्ष ,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन चंदेल, जिला पंचायत सदस्य घनश्याम सनोदिया,गणेश मंदिर के पुजारी पंडित हरि प्रसाद तिवारी, शिवदयाल सनोदिया,जी एन तिवारी, मानसिंह चंद्रवंशी, अखिलेश शिवहरे, अनिल दानोदिया, समिति अध्यक्ष राधेश्याम सनोदिया, कोषाध्यक्ष मनोज चंदेल, रेवाराम विश्वकर्मा ,छविलाल , यजमान साधुलाल धुर्वे सरस्वती धुर्वे, और पूरे वातावरण में हर-हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय माहौल बना रहा। आयोजक समिति ने बताया कि कथा समापन के अवसर पर कल हवन-पूजन, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने की अपील की गई है।

शिक्षा के मंदिर को भाजपा कार्यालय बनने नहीं देंगे : एनएसयूआई

सिवनी नवभारत। जिला एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सिवनी में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। एनएसयूआई का आरोप है कि कॉलेज के कार्यक्रम में लगातार भाजपा पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया जाता है और कार्यक्रम का उपयोग भाजपा के प्रचार के लिए किया जाता है, जिससे स्नेह सम्मेलन राजनीतिक मंच बनकर रह गया है। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज में अधिकांश छात्र आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी छात्र संगठनों और एनएसयूआई पदाधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। संगठन ने कॉलेज प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए

निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। एनएसयूआई के अनुसार इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण विरोध करने पर भाजपा नेताओं द्वारा जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धनंजय सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। धनंजय ने कहा कि वह भाजपा के दबाव से नहीं डरेंगे।

ट्रस्ट देता है नि :शुल्क कोचिंग

छपारा नवभारत। नगर में पिछले वर्ष से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को जो इच्छुक तो हैं पढ़ाई-लिखाई करने को लेकिन संसाधनों की उपलब्धता और परिवार मैं गरीबी की बेड़ियों में जकड़ी हुई परेशानियों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं उनके लिए उशशंकर चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित निशुल्क कोचिंग सेन्टर छपारा नगर के समाजसेवी एवं मीडिया कर्मी,एडवोकेट लक्ष्मण सिंह अहिरवार के मार्गदर्शन बीते वर्ष से चलाई जा रही उक्त नि:शुल्क कोचिंग नगर के सामुदायिक रविदास भवन में शुरुआत की गई जहां वर्तमान में लगभग 45 बच्चे सभी कक्षाओं की निशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सक्षम हो रहे हैं,उक्त निशुल्क कोचिंग सेंटर में गणित,विज्ञान की शिक्षक स्वाति सुपलभक्त एवं मुनमुन सुपलभक्त द्वारा शिक्षा दी

परीक्षाओं के संपन्न होने पर विद्यार्थियों को भोजन कराकर आगामी सत्र को लेकर शुभकामनाएं दीं गई

जा रही है। वहीं रविवार को नगर परिषद छपारा के उपाध्यक्ष ठाकुर शिवकांत सिंह के सहयोग से वार्षिक परीक्षा के संपन्न होने पर सभी विद्यार्थियों को ट्रस्ट के माध्यम से भोजन का सहयोग दिया गया एवं आगामी शिक्षण सत्र हेतु सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में छपारा के मीडिया कर्मी हासीम खान,गोल्डी ठाकुर, राजा श्रीवास्तव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ज्ञात हो कि निशुल्क कोचिंग के साथ - साथ ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर लेखन सामग्री भी प्रदान की जाती है इस तरह के सामाजिक उत्थान के चलाई जा रही पहल से एक ओर जहां कमजोर परिवारों को संबल प्रदान होता है साथ ही औरों को प्रेरणा मिलती हैं।

आयोजन समाज की सहभागिता और मानवीय दृष्टिकोण से ही प्रभावी होगी पुलिसिंग व न्याय व्यवस्था : डीजीपी कैलाश मकवाणा

संबल फोरम : न्याय और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस की पहल

सिवनी नवभारत। न्याय तक पहुँच को सुलभ बनाने तथा सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस के सामुदायिक पुलिसिंग विंग द्वारा भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के समाज कार्य विभाग, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा कोडी इंस्टीट्यूट के सहयोग से 10 एवं 11 मार्च को भोपाल में दो दिवसीय 'संबल 2026 = सोशल वर्क एंड कम्युनिटी पुलिसिंग फोरम' का आयोजन किया गया। इस मंच के माध्यम से पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अकादमिक विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज संगठनों को एक साझा मंच प्रदान किया गया, जहाँ न्याय, सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'सृजन' संस्था के बच्चों द्वारा प्रेरक पावर वॉक प्रस्तुत की गई, जिसमें बेटियों की सशक्त भूमिका का संदेश दिया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव, नशा मुक्ति, महिला अपराधों की रोकथाम तथा सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर प्रभावी संदेश दिया गया। भोपाल स्कूल ऑफ सोशल

साइंसेज के प्राचार्य डॉ. फादर जॉन पी.जे. ने स्वागत उद्बोधन देते हुए सामाजिक कार्य और पुलिसिंग के समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर अपराध एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव जैसे विषयों पर व्यापक अभियान चलाए गए हैं तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 में प्रदेश स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए गए जागरूकता अभियान तथा नशे से दूरी है जरूरी अभियान को व्यापक जनसहभागिता मिली और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि मुस्कान अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 में विशेष प्रयासों से 14 हजार से अधिक लापता बालिकाओं को खोजकर परिजनों से मिलाया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा 'संबल' से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

समापन सत्र को मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के सदस्य श्री ऋषि गर्ग , खेल एवं युवा कल्याण विभाग निदेशक अंशुमान यादव तथा नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलगुरू प्रो. (डॉ.) एस. सूर्य प्रकाश ने भी संबोधित किया और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार ने अपने संबोधन में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में कार्य करने के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से समाज का विश्वास अर्जित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डीआईजी सामुदायिक पुलिसिंग डॉ. विनीत कपूर ने दो दिवसीय कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, अनुभवों तथा सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त सुझावों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि फोरम का उद्देश्य पुलिस, सामाजिक कार्य संस्थाओं तथा अकादमिक जगत के बीच संवाद और सहयोग को सुदृढ़ करना है, जिससे समाज में न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रतिनिधि सुश्री कल्पना यादव द्वारा फोरम से प्राप्त प्रमुख सिफारिशों एवं निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सामुदायिक स्तर पर सुरक्षा और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। वहीं कोडी यूनिवर्सिटी की डॉ. सारिका सिन्हा ने समुदाय, सामुदायिक पुलिसिंग और सामाजिक कार्य के बीच समन्वय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और नवाचारों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। Just Right for Children से जुड़ी सुश्री रचना त्यागी ने विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के माध्यम से हुए महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पोक्सो से जुड़े मामलों में पीड़ित बच्चों के समर्थन के लिए सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था तथा पुलिस थानों में पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया।

फोरम में वर्ष 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के बीच हुए समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया गया, जिसके माध्यम से लापता एवं शोषित बच्चों की पहचान और बचाव के लिए तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ किया गया है।

फोरम में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों ने भी सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा किया। बैतूल, देवास, जबलपुर, भोपाल सहित अन्य जिलों से आए पुलिसकर्मियों ने वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सामुदायिक सहभागिता से अपराध नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले जमीनी स्तर के 'ग्रासरूट चेंजमेकर्स' को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 150 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत उगली,जनपद पंचायत केवलारी

बैठकी बाजार नीलामी सूचना दिनांक-16/03/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत उगली में साप्ताहिक बैठकी बाजार, साइकिल स्टैंड, मवेशी खरीदी एवं बिक्री बाजार की नीलामी वर्ष 2026-27 हेतु आगामी दिनांक 18/03/2026 को दिन बुधवार समय 12:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही संपन्न की जाएगी, जिसमें आफसेट प्राइस व्यक्तियों को निक्षेप राशि ₹.20000 साइकिल स्टैंड के निक्षेप राशि ₹.10000 मवेशी खरीदी बिक्री की निक्षेप राशि ₹.5000 नीलामी बोली की निक्षेप राशि जमा करना अनिवार्य है. असफल बोलीदार के निक्षेप राशी नीलामी समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जाएगी, सफल बोलीदार को नीलामी स्वीकृति के पश्चात ठेके की 50% राशि तुरंत जमा करना अनिवार्य होगा शेष राशि तीन सामान्य किस्तों में 30 जून 2026, 30 सितंबर 2026 एवं 31 दिसंबर 2026 को देय होगी, उपरोक्त कंडिकाओं के निर्वहन में असफल होने पर ऐसे बोलिदार की राशि ग्राम पंचायत के पक्ष में राजशात की जाएगी, एवं ठेका निरस्त कर पुनः नीलामी की जा सकेगी आफसेट वैल्यू के अनुकूल उच्चतम बोली ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी नीलामी के दौरान आफसेट वैल्यू ना आने पर उच्चतम बोलीदार की निक्षेप राशि स्वीकृत की प्रत्याशा में आगामी नीलामी तक जमा रखी जावेगी, नीलामी ठेका के पश्चात स्टाम शुल्क की कार्रवाई के उपरांत अधिकार पत्र दिया जाएगा एवं पुराने बकायदारों एवं अथवा उसके प्रतिनिधि को नीलामी भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, बोलीदार को आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है,समयावधि के ऊपर किस्त जमा न होने पर बगैर सूचना के ठेका निरस्त किया जाएगा नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तें ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं.

सरपंच
श्रीमति पुष्पलता इंद्रराज पोचाटे

सचिव
गिरधर सोलंकी